न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोण्डा।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–262/2026
CNR No.UPGD010031252026

सोनापती बनाम लवकुश सिंह आदि

दिनांक–22.07.2026

1– पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना।

2– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आवेदिका सोनापती द्वारा सारतः इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी एक गरीब व मजदूरी पेशा महिला है। वह अनूसूचित जाति की महिला है। घटना दिनांक 25.04.2026 को रात्रि लगभग 10 बजे की है। प्रार्थिनी टीनशेड छाने हेतु 08 बांस, 04 खम्भा व टीन का चद्दर अपने घर के पास रखे हुए थी। विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थिनी के उपरोक्त सामान को उठाकर ले जाने लगे जब उसने मना किया तब विपक्षीगण उसको मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मार डालने की धमकी देते हुए प्रार्थिनी को लात घूसा से मारा, प्रार्थिनी के हल्ला गुहार मचाने पर विपक्षीगण प्रार्थिनी को अपमानित करते हुए कहा कि पासिन, साली मादरचोद तुम नीच जाति की हो ज्यादा बोलोगी तो तुमको जान से मार डालेंगे। विपक्षीगण सामान्य जाति के सरकस व दबंग किस्म के व्यक्ति है प्रार्थिनी को धमकाते है कि यदि तुम हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही कराओगी तो जान से मार डालेंगे। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना दिनांक–29.04.2026 को थानाध्यक्ष थाना कौड़िया, पुलिस अधीक्षक, जनपद–गोण्डा, जिलाधिकारी, गोण्डा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवीपाटन मण्डल गोण्डा को दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। उक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

3– उक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सही तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण व प्रार्थिनी व उसके पति सुमेरे के मध्य कथित घटना के बहुत पहले से दीवानी न्यायालय अपर सिविल जज, जू0डि0, कक्ष संख्या–2 के न्यायालय में एक मंसूखी बैनामा का वाद सा0वाद संख्या 223/2026 शिवबालक सिंह बनाम सुमेरे आदि विचाराधीन है तथा राजस्व न्यायालय तहसीलदार गोण्डा के न्यायालय में वाद संख्या आर.सी.टी. 7646/2026 बालकराम उर्फ शिवबालक बनाम सोनापति विचाराधीन है तथा जिसमें वाजदायर निस्तारण तक पूर्व आदेश स्थगित है। जिसकी अंकना खतौनी में भी है। कथित घटना दिनांक 25.04.2026 की रात्रि 10 बजे की बतायी जाती है, प्रार्थिनी के घर से विपक्षीगण के घर की दूरी लगभग 250 मीटर है। घटना की पुष्टि हेतु कोई भी साक्षी नहीं है। कथित घटना के समय विपक्षी संख्या–1 घर पर

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.23 10:46:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौजूद नहीं था बल्कि मौजे के ही लड़के की शादी में बारात गया था। विपक्षी संख्या–1 कमर व हार्ट रोग से गंभीर रूप से पीड़ित है और कथित घटना के बहुत पहले से चलने फिरने में असमर्थ है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये सभी आरोप फर्जी, असत्य व विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित हैं। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। आपत्ति के साथ सिविल जज, जू0डि0 गोण्डा में लम्बित सा0 वाद संख्या 223/26 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय तहसीलदार गोण्डा के यहां लम्बित वाद संख्या 7646/2026 की सत्यप्रतिलिपि तथा खतौनी की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4– आवेदिका के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– आवेदिका का मुख्य रूप से कथन है कि घटना दिनांक 25.04.2026 को रात्रि लगभग 10 बजे की है। प्रार्थिनी टीनशेड छाने हेतु 08 बांस, 04 खम्भा व टीन का चद्दर अपने घर के पास रखे हुए थी। विपक्षीगण जबरदस्ती उसके उपरोक्त सामान को उठाकर ले जाने लगे जब उसने मना किया तब विपक्षीगण उसको मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मार डालने की धमकी देते हुए प्रार्थिनी को लात घूसा से मारा, प्रार्थिनी के हल्ला गुहार मचाने पर विपक्षीगण प्रार्थिनी को अपमानित करते हुए कहा कि पासिन, साली मादरचोद तुम नीच जाति की हो ज्यादा बोलोगी तो तुमको जान से मार डालेंगे।

6– प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/आवेदक को विपक्षीगण के नाम व पते, प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना, घटनास्थल, घटना के समस्त तथ्य संज्ञान में हैं जिनको वह अपने साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में साबित करने में सक्षम है तथा प्रार्थना पत्र के कथन शपथपत्र से समर्थित हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्डपीठ के निर्णय–**सुखवासी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 पेज 739** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में दिए गए तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए जाने तथा विवेचना किए जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के निर्णय में दिये गये विधि सिद्धान्तों के आलोक में आवेदिका उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका **सोनापती** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 पत्रावली दिनांक–01.09.2026 को पेश हो।

(आलोक शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
गोण्डा।
आई.डी.नम्बर–यू.पी.1751

दिनांक–22–07–2026